पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

करहेल माता

ग्राम पंचायत - आमझरा,

तहसील व ब्लॉक - बिछीवाड़ा

जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - करहेल माता गाँव करीब 500 से अधिक वर्ष पुराना है। इस गाँव में करणी माता जी का एक मंदिर है, जिस कारण गाँव का नाम करहेल माता पड़ गया। गाँव के लोगों की मान्यता है कि यह मंदिर बहुत चमत्कारी है। गाँव के कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सरकार और गाँव के बाहर के लोगों ने एक बार इस मंदिर के पहाड़ को तोड़ कर समतल कराना चाहा तो यहाँ पर जे.सी.बी. मशीनें भी बंद हो जाती थीं। उसके बाद पहाड़ी तोड़ने की योजना रद्द कर दी गयी। कभी-कभी गाँव में मकान की नींव और कुँए आदि की खुदाई करने पर पुरानी ईंटे, मिट्टी के खिलौने के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े आदि निकलते हैं; जिससे गाँव की प्राचीनता का पता चलता है। करहेल माता मंदिर को देवस्थान और पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले रखा है। गाँव में पहले राजपूत लोग रहते थे। बाद में गाँव में आदिवासी लोग आए। करणी माता मंदिर के अतिरिक्त गाँव में एक गिरिया महुड़ी माता जी का धार्मिक स्थल है।

गाँव का परिचय - डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में करहेल माता नाम का यह गाँव बसा हुआ है; जिसकी ग्राम पंचायत आमझरा और ब्लॉक बिछीवाड़ा है। आमझरा पंचायत में दो राजस्व गाँव हैं- आमझरा और करहेल माता। करहेल माता राजस्व गाँव में घरों की संख्या 540 है और आबादी लगभग 2800 है। गाँव के लोग छोटे-छोटे फलो में पहाड़ों पर रहते हैं।

गाँव में 10 छोटे-बड़े फले हैं, जो डान फला, सुपड़ा फला, गुला फला, हगात फला, दरा फला, फूटा फला, यादव बस्ती, कलियादरा, रावेला फला और गोंदवाड़ा के नाम से जाने जाते हैं। करहेल माता के पड़ोसी (आस-पास के) गाँव संचिया, बोखला, पालपादर, पीथापुर, कनबाई, खेरवाड़ा और झिंझवा है। गाँव में अनुसूचित जाति (एस.टी.), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) और सामान्य (जनरल) जाति के लोग निवास करते है। गाँव के आदिवासियों में अनुसूचित जाति के अहारी, हगात, हड़ात, भगोरा, डोन, परमार आदि उपजाति के लोग रहते हैं। आदिवासियों के अतिरिक्त गाँव में राजपूत, कलाल और यादव समाज के लोग रहते हैं। गाँव में शिलालेख और गाँव सभा का गठन वर्ष 2017 में किया गया। गाँव का कुल रकबा 377 हेक्टेयर है, जिसमें कृषि जमीन, बिलानाम जमीन, चारागाह, जंगल की जमीन और पहाड़ शामिल है। गाँव के पहाड़ों पर जंगल में पूर्व की भाँति वर्तमान में भी सागवान, तेंदूपत्ता, गोंद, महुआ, बांस, आम, नीम, ढाक और पीपल जैसे लघु वन उपज देने वाले उपयोगी पेड़ हैं। जंगल पर वन विभाग का कब्जा है। वन विभाग से अनुमति लेकर तेंदूपत्ता संग्रहण किया जाता है। इस कार्य में गाँव के लोगों को रोजगार मिल जाता है। अन्य वनोत्पादों के संग्रहण एकत्रण पर रोक नहीं है। गाँववासी इन्हें संग्रह कर बेचते हैं। गाँव में लोगों को पेसा कानून की जानकारी है। सामाजिक संस्था "वागड़ मजदूर किसान संगठन" के कार्यकर्ता पेसा कानून की जागरूकता के लिए समय-समय पर अभियान और बैठकें आयोजित करते रहते हैं, जिनमें गाँव के लोग भागीदारी करते हैं। पेसा क़ानून के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए लोगों ने अपने गाँव विकास के प्रस्ताव भी लिखे हैं। गाँव के करीब 75% घरों में बिजली की सुविधा है। इसके लिए गाँव में बिजली के 6 ट्रांसफार्मर (D.P.) है। उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन गाँव के करीब 50% लोगों को मिल गए हैं। गाँव में राशन की एक दुकान है, जो डीलर अपने घर से ही चलाता है।

आवागमन की स्थिति - करहेल माता गाँव जाने के लिए डूंगरपुर से खेरवाड़ा मोड़ (23 किलोमीटर) तक बस से जाते हैं। खेरवाड़ा मोड़ से निजी साधन (जीप या टेम्पो) से शिशोद, बोखला पाल, आमझरा होते हुए करहेल माता जा सकते हैं। गाँव तक जाने के लिए दूसरा रास्ता डूंगरपुर से रोडवेज बस या निजी बस के माध्यम से बिछीवाड़ा हाई-वे तक(लगभग 28 किलोमीटर) जाया जाता है। बिछीवाड़ा हाई-वे से ऑटो, जीप अथवा दो पहिया वाहन के द्वारा बरोठी, आमझरा होते हुए करहेल माता जा सकते हैं। डूंगरपुर से गाँव करहेल माता जाने के लिए सीधे आमझरा तक कुछ निजी साधन (जीप) भी मिलते हैं। आमझरा से आगे करहेल माता मुख्य सड़क तक ऑटो से जा सकते हैं। ऑटो के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसलिए गाँववासी अक्सर पैदल ही आते-जाते हैं। करहेल माता मुख्य रोड़ से गाँव तक दो पहिया वाहन से अथवा पैदल ही जा सकते हैं। गाँव में जाने के लिए चार पक्की सडकें हैं, जो ठीक हालत में हैं। इसके अलावा 4 सी.सी. सड़कें और 5 कच्ची सड़कें हैं। चार में से दो सी.सी. सड़क अधूरी पड़ी हैं। गाँव के फलो में लोगों के घरो तक जाने के लिए कच्ची सड़कें भी टूटी-फूटी और ऊबड़-खाबड़ हैं। लोगों के घरों के लिए कहीं-कहीं पर तो पगडंडी भी नहीं है। करहेल माता गाँव के फलो में मोटर साइकिल या पैदल ही जा सकते है। लोगों को दैनिक घरेलू सामान की खरीददारी के लिए बिछीवाड़ा या खेरवाड़ा जाना पड़ता है, जो गाँव से क्रमश: 15 और 17 किलोमीटर की दूरी पर हैं।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - करहेल माता गाँव में 4 आंगनवाड़ियाँ है, जिनमें से दो नई, एक पुरानी और एक स्कूल भवन में चलती है। आंगनवाडियों में लोगों को ख़राब पोषाहार मिलने की शिकायत है और बच्चों के वजन के लिए मशीन भी ख़राब है। गाँव के बच्चे और प्रसूति माताएं खून की कमी (एनीमिया) और कुपोषण की समस्या से ग्रसित है। यह समस्या सिर्फ इस अकेले गाँव की ही नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की है। प्रोटीन, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों वाला भोजन नहीं मिलने के कारण वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुछ बच्चे जन्म से ही कमजोर होते हैं, क्योंकि उनकी माताएं पौष्टिक आहार नहीं ले पाती हैं। कुछ बच्चे बाद में भी कमजोर हो जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार डूंगरपुर बाँसवाड़ा क्षेत्र के 21% बच्चे जन्म से ही कमजोर पैदा हो रहे हैं। पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण 31% बच्चों की पसलियां धँस चुकी हैं। खान-पान की समस्याओं और आंगनवाड़ी में पोषाहार वितरण की अनियमितता आदि के कारण कुपोषण का संकट गाँव में बढ़ रहा है। गाँव में इलाज की सुविधा हेतु एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कलिया दरा फले में है, लेकिन उसमें चिकित्सा अधिकारी (डॉक्टर) नहीं है। यदि कोई बीमार होता है तो उसे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (A.N.M.) दवा दे देती है। गम्भीर मरीजों को मुख्य चिकित्सालय ले जाने हेतु घर से सड़क पर स्थित बस स्टैंड तक चारपाई अथवा झोली में डाल कर पैदल ही ले जाना पड़ता है। वहाँ से मरीजों को बिछीवाड़ा और अधिक गंभीर होने पर उदयपुर अथवा डूंगरपुर के सरकारी अस्पताल या गुजरात निजी साधन से अथवा 108 एम्बुलेंस में ले जाते हैं। करहेल माता गाँव में पशु चिकित्सालय नहीं है। पशु चिकित्सालय गाँव से 2 किलोमीटर दूर आमझरा में है।

गाँव में कुल चार विद्यालय हैं, जिनमें से तीन प्राथमिक और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है। दो प्राथमिक विद्यालयो में 3-3 अध्यापक और एक प्राथमिक विद्यालय में 4 अध्यापक नियुक्त हैं। प्राथमिक विद्यालयो में शौचालय ख़राब हो गए हैं। बच्चे बाहर खुले में शौच के लिए जाते हैं और हैण्डपंप भी ख़राब है। प्राथमिक

विद्यालयों में मध्याह्न भोजन (मिड-डे मिल) बनाने के लिए अलग से कमरा नहीं है। इसलिए स्कूल के कक्षा कक्ष में ही भोजन बनाया जाता है। प्राथमिक स्कूलों का परकोटा नहीं है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में लगभग 600 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिन्हें 12 शिक्षक पढ़ाते हैं। विद्यालय में 13 कमरे हैं (जिनमें से 10 नए सन 2018 में बनवाए गए हैं)। उच्च माध्यमिक विद्यालय के कुछ कमरों में बरसात के मौसम में छत से पानी टपकता है। स्कूल में पीने के पानी के लिए हैण्डपंप नहीं है और शौचालय बहुत ही गंदे हैं। विद्यालयो में अध्यापकों की कमी है, जिस कारण बच्चो की शिक्षा प्रभावित हो रही है।

करहेल माता गाँव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है-

आवागमन की कमी - गाँव के लोग नेशनल हाई वे नंबर 8 के करीब 2 से 4 किलोमीटर दूर तक बसे हुए हैं। हाई वे से गाँव में जाने के लिए 4 पक्की सड़क हैं, जो नयी बनी हैं। इनके अतिरिक्त गाँव में चार सी.सी. सडकें बनी हैं। उनमें से दो अधूरी पड़ी हैं और इनके किनारे पर पानी की निकासी के लिए नालियाँ भी नहीं बनी हैं। गाँव में 5 कच्ची सड़कें हैं, जो टूटी-फूटी और ऊबड़-खाबड़ हैं। गाँव के कुछ लोगों के घर तक जाने का रास्ता कहीं कच्चा, कहीं पक्का, टूटा-फूटा और ऊबड़-खाबड़ है। कहीं-कहीं पर पगडंडी भी नहीं है। गाँव के फलों में जाने के लिए आवागमन का कोई साधन नहीं मिलता है। आदिवासी परिवार पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। गाँव की जमीन पहाड़ी ढलान और ऊबड़-खाबड़ होने के कारण सड़क बनाने में समस्या आती है। गाँव वालों को कहीं भी आने-जाने के लिए पैदल चलकर आमझरा बस स्टैंड आना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से निजी साधन जैसे ऑटो, जीप आदि मिलते हैं। ये निजी सवारी वाहन (अक्सर जिनका कोई टेक्सी और कमर्शियल परमिट नहीं होता है) पूरा भरने पर ही चलते हैं और ओवरलोड सवारी बिठाते हैं। जिससे दुर्घटना होने और सवारियों के जानमाल के नुकसान की आशंका बनी रहती हैं। दुर्घटना होने की स्थिति में घायलों और मृतकों को किसी प्रकार की बीमा क्षतिपूर्ति राशि अथवा मुआवजा भी नहीं मिलता है। आवागमन के साधनों की कमी कारण अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग आवागमन के लिए निजी वाहनों का प्रयोग करते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति वालों को जीप आदि निजी साधनों में बैठ परेशानी और जोखिम उठाना पड़ता है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव की भूमि ऊबड़-खाबड़ और पथरीली है। गाँव की कुछ जमीन ही समतल है, जो राजपूत समाज के लोगों के पास है। उन्होंने भी इसे निजी खर्चे पर समतल करवा रखा है। गाँव की बिलानाम और चारागाह जमीन पर गाँव का कब्जा है। गाँव के लोगों को उनके कब्जे की आवासीय खेती की जमीन का पट्टा नहीं मिला है। पहाड़ी जमीन होने के कारण खेती में भी समस्या आती है और सिंचाई के लिए इतना पानी नहीं मिल पाता है। गाँव के जंगल पर वन विभाग ने कब्जा कर रखा है, जिसमें सागवान, गोंद, महुआ, आम, सीताफल, ढाक जैसे लघु वन उपज देने वाले पेड़ हैं। वन विभाग के कब्जे के कारण गांव के लोगों को लघु वन उपज को बेचने का अधिकार नहीं है। मात्र टीमरू से तेंदुपत्ता संग्रहण गाँव के लोग करते हैं,

जिसके लिए वन विभाग ठेका देता है। गाँव में वन अधिकार समिति नहीं बनी है, और न ही जंगल के सामुदायिक अधिकार के लिए दावा पेश किया गया है।

जल- गाँव में सीमित जल संसाधनों में ही पानी रहता है। गाँव में एक नदी करहेल माता नदी, 5 नाले, दो तालाब, 10 कुएं और 5 एनीकट हैं। नदी बरसात के करीब 2 माह बाद ही सूख जाती है। गाँव के पाँच नालों में से चार का भी पानी फरवरी आने से पहले ही सूख जाता है। नदी और नाले पर बारिश के पानी को रोकने के लिए पाँच एनिकट बनाए गए हैं, जिसमें से तीन जर्जर हैं और दो ठीक स्थिति में हैं। खराब एनिकट के बाँध की दीवारों में दरारें पड़ गई है, जिस कारण पानी रिस कर निकल जाता है। गाँव के दस कुओं में से करीब 5 सूखे रहते हैं। बाकी पांच कुओं में साल भर पानी रहता है, जिससे पेयजल, सिंचाई और पशुओं के लिए पानी मिल जाता है। गाँववालों के पास वर्षा जल संरक्षण करके भूजल-स्तर को बरकरार रखने या ऊँचा उठाने के लिए कोई जानकारी अथवा साधन भी नहीं है। गाँव में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कोई आर.ओ. (रिवर्स ऑस्मोसिस वॉटर प्यूरीफायर) प्लांट नहीं है। उनको गर्मियों में पीने के पानी के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कभी कभी 2-3 किलोमीटर दूर से पानी सिर पर ढो कर लाना पड़ता है।

कृषि एवं रोजगार की स्थिति - गाँव में समतल जमीन बहुत कम है। लोग पथरीली ऊबड़-खाबड़ तथा पहाड़ों के ढलान वाली जमीन पर खेती करते हैं। गाँव वासी गेहूं, मक्का, उड़द, चना, तुअर तथा धान आदि की फसल उगाते हैं। फसल को नील गाय, सुअर, तोते, बंदर, चूहे आदि जीव हानि पहुँचाते हैं। जमीन कम और असमतल होने, सिंचाई के साधनों की कमी और अन्य कारणों से पैदावार में जो अनाज होता है, वो केवल 4 से 5 महीने खाने भर का होता है। बाकी दिनों के लिए सिर्फ मनरेगा मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। राशन की दुकान से भी जो गेहूं मिलता है, वह परिवार के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए गाँव के लोग मजदूरी के लिए आस-पास के शहरों में जाते हैं। गाँव वालों की आजीविका का साधन मुख्यतः खेती, मनरेगा में मजदूरी, गाँव में खुली मजदूरी तथा शहरों में निर्माण आदि कार्यों में मजदूरी (कड़िया मजदूरी) है। मनरेगा में लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते लगभग 70-80 दिन ही काम मिल पाता है और मजदूरी लगभग 100 रु. ही मिल पाती है।

खनन- गाँव में पहले सोपस्टोन की खुदाई होती थी, जो अभी बंद है। सोपस्टोन की खदान एक बार ढह गई थी और उसमें दो तीन मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। तब से यह बंद पड़ी हुई है।

पशुपालन हेतु चारे व चारागाह की कमी - गाँव के कुछ लोग एक-दो गाय, भैंस, बैल और चार-छः बकरियाँ पालते हैं। कुछ लोग मुर्गियाँ भी पालते हैं। पशुपालन में उनको पहली कठिनाई यह आती है कि मवेशियों के लिए वर्ष भर पर्याप्त रूप से चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है। समतल जमीन कम और ऊबड़-खाबड़ जमीन अधिक होने से चारा भी कम ही होता है। चारागाह की जमीन पहाड़ों पर ही है, जिस पर बारिश के मौसम में ही चारा/घास होती है। वहीं से गाँव के लोग पशुओं के लिए चारा/घास ले आते हैं, अथवा उसमें चरने के लिए

जानवरों को छोड़ देते हैं। पशुओं का चारा और पानी कम होने से गर्मियों में पशु कमजोर हो जाते हैं। गाँव के लोग आर्थिक संकट के चलते पशुओं के लिए चारा भी खरीद पाने में असमर्थ हैं। पशुओं के लिए चारे और पानी के संकट और उनके देशी नस्ल का होने से दूध भी कम होता है, जो मात्र घरेलू उपयोग लायक ही हो पाता है।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

क्र	संसाधन	संसाधनो की स्थिती	संभावनाएं
1	**जल -** नदी तालाब नाले एनिकट कुँए हैंडपंप ट्यूबवेल	गाँव में एक नदी और तीन तालाब तथा पाँच नाले हैं। दो तालाब में साल भर पानी रहता है और उससे सिंचाई कर कुछ लोग खेती करते हैं। पाँच में से मात्र एक नाले में पानी रहता है। गाँव में हैंडपंप हैं जिनमें से कुछ खराब पड़े हैं। गाँव में कुँए भी हैं, लेकिन आधे कुओं का पानी सूख जाता है। गाँव के कई लोगों को सिंचाई के लिए साधनों के अभाव में पानी नहीं मिल पाता है। गाँव में करीब-करीब हर पाँचवें से सातवें घर में ट्यूबवेल है। गाँव में पाँच एनिकट हैं, जिनमें से तीन खराब और दो ठीक हैं। गर्मियों में ट्यूबवेल का जल-स्तर भी नीचे चला जाता है।	वर्षा जल संरक्षण करना। गाँव के नाले में बने एनिकट मरम्मत कर उनकी पाल की ऊँचाई बढ़ाना। तालाब गहरे करना। जिससे बारिश का पानी जमीन के अंदर उतरेगा और भू-जलस्तर ऊपर उठेगा। इससे कुओं में भी पर्याप्त पानी रहने की संभावना है। जो सिंचाई के काम आ सकता है।
2	**जंगल**	जंगल पर वन विभाग का कब्जा है। गाँव के जंगल में सागवान, टीमरू, खाखरा, आम, सीताफल, महुआ, कंजरी और नीम आदि के पेड़ हैं। वन विभाग तेंदूपत्ता संग्रहण हेतु ठेकेदार को ठेके पर देता है। ठेकेदार गाँव के लोगों से पत्ते तुड़वाता है। 50-50 पत्तों की एक गड्डी बनती है और 100 गड्डी के लिए 90 रु. मजदूरी मिलती है। पत्ते तोड़ने का काम पूरे साल में मात्र 20-25 दिन ही चलता है। आम, महुआ, ढाक को लोग घरेलू उपयोग में लेते हैं। जंगल पर सामुदायिक वन दावा गाँव वासियों ने नहीं किया है।	वन विभाग के कब्जे वाले जंगल पर सामुदायिक दावा करके गाँव सभा के अधीन करना। जंगल के आस-पास पानी रुकने की व्यवस्था करना। जंगल को पुनर्जीवित कर लघु वन उपज प्राप्त करना।
3	**जमीन**	गाँव के लोगों को अपने कब्जे की जमीन	कब्जे की जमीन के पट्टे के लिए दावे

		पर खातेदारी का हक नहीं मिला है। गाँव की कुछ ही जमीन समतल है। अधिकांश जमीन पहाड़ों की ढलान वाली, पथरीली एवं ऊबड़-खाबड़ है। गाँव के लोग जमीन पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं। सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। थोड़ी सी ही जमीन समतल है। समतल जमीन पर पैदावार थोड़ी ठीक हो जाती है। गाँव की बिलानाम जमीन, चारागाह पर गाँव वासियों का कब्जा है।	करके उनका अनुसरण करना। ऊबड़-खाबड़ जमीन का समतलीकरण करणा। कम्पोस्ट जैविक खाद का प्रयोग करके जमीन को अधिक उपजाऊ बनाना। ये सभी कार्य गाँव सभा के माध्यम से पूरे करना।
4	**सामुदायिक भवन**	गाँव का सामुदायिक भवन करहेल माता मंदिर के पास है, जिसका फर्श खराब हो रहा है और बरसात के दिनों में भवन की छत से पानी टपकता है। भवन जर्जर होने से उसमें कोई कार्यक्रम भी नहीं हो पा रहे हैं।	करहेल माता सामुदायिक भवन की छत और फर्श की मरम्मत करवाना ताकि वह उपयोग में आ सके।
5	**श्मशान घाट**	गाँव में श्मशान घाट की स्थिति खराब है। उसका चबूतरा और परकोटा नहीं है और स्नान करने के लिए भी ठीक व्यवस्था नहीं है।	गाँव में श्मशान घाट का चबूतरा और परकोटा बनवाना है और स्नान करने के लिए भी घाट व्यवस्था करनी है।

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं, उनके कारण एवं प्रस्तावित समाधान -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	लोगों को घर तक जाने के लिए चार सी.सी. सड़कें बन रही थीं, पर उनमें से दो अधूरी ही बनी हैं। लोक निर्माण विभाग और पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के चलते उनका निर्माण नहीं हो पाया है। लोगों के घरों	गाँव में जहाँ रास्ते नहीं हैं, वहाँ रास्ता निर्माण के प्रस्ताव गाँव सभा में लिए गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार कामों को पंचायत की एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते का संकट का समाधान होने की संभावना है। सीसी सड़कों का निर्माण करने और	**तात्कालिक**

			तक जाने के लिए पहाड़ी ढलान पर कच्चे रास्ते और पगडंडी है। पहाड़ियों पर जाने का रास्ता नहीं होने के कारण बीमार लोगों को झोली में डाल कर लाना पड़ता है। रास्ते की समस्या के कारण गंभीर बीमारियों में जान जाने का भी खतरा भी रहता है। रास्तों का निर्माण मानक के अनुसार नहीं करवाने से रास्ते टूट-फूट गए हैं। टूटे रास्तों की मरम्मत भी समय पर नहीं होती है।	वर्तमान में बनी हुई सड़कों की चौड़ाई बढ़ा कर तथा टूटे रास्तों की समय समय पर मरम्मत करके भी रास्ते की समस्या का समाधान किया जा सकता है।	
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	अध्यापकों की कमी, पर्याप्त कमरे नहीं होना, शौचालय का जर्जर होना और पानी की समस्या के कारण बच्चों की पढाई नहीं हो पा रही है। शिक्षा के प्रति उदासीनता भी इसका एक कारण है। अध्यापकों को पढ़ाने के अलावा दूसरे कामों में लगाने से भी शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है।	गाँव सभा ने शिक्षकों की नियुक्ति, कक्षा कक्ष का निर्माण और शौचालय मरम्मत के प्रस्ताव लिए हैं। इनका अनुसरण कर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देने की भी योजना है।	**तात्कालिक**
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	भौगोलिक कारणों से खेती की जमीन का पहाड़ी की ढलान वाली और ऊबड़-खाबड़ होना। सिंचाई की सुविधा सभी	जमीन का समतलीकरण करवाने के लिए गाँव सभा में प्रस्ताव लिए हैं। बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़बंदी तथा	**तात्कालिक**

			के पास उपलब्ध नहीं होना। वर्षा जल संरक्षण नहीं करना। उन्नतशील बीज और खाद का अभाव।	कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करने के भी प्रस्ताव लिए हैं। गाँव के नाले में पानी रोकने के लिए एनिकट निर्माण का भी प्रस्ताव गाँव सभा में लिया है। इन प्रस्तावों को पंचायत के एक्शन प्लान में लाने के प्रयास कर खेती की हालत सुधारी जा सकती हैं।	
4	**सरकारी योजनाओं का सही से क्रियान्वयन नहीं होना**	**व्यक्तिगत**	पंचायत द्वारा आवास योजना में जो आवास का आवंटन होता है, उसमें पंचायत पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर प्रभावशाली लोगों को प्राथमिकता देती है। लोगों को आवास निर्माण किश्त के भुगतान के लिए पंचायत के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पेंशन का भी आवेदन स्वीकृत होने में बहुत समय लग जाता है। जागरूकता नही होने के चलते लोग जीवित रहने का प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाते हैं। इसलिए भी पेंशन रूक जाती है।	गाँव सभा ने प्रस्ताव लेकर जरूरतमंद लोगों के लिए आवास निर्माण आवेदन की प्रक्रिया अग्रसारित करने के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी सौपी है। बकाया राशि का भुगतान समय पर कर समस्या हल हो सकती है। बंद पेंशन के भुगतान शुरू करवाने के लिए आवेदन पक्रिया अग्रसारित करने हेतु भी गाँव सभा ने प्रस्ताव लिया।	**तात्कालिक**
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	लोग कई पीढ़ियों से कब्जे की भूमि पर कुआं खोदकर, घर और खेत बनाकर तथा पेड़ लगाकर	पट्टे की जमीन, जिसकी पेनाल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है, उसे कोर्ट में जमा करना और	**दीर्घकालिक**

			काबिज भूमि पर निवास कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पट्टे के नियमन के लिए लगाए गए दावों पर उनको खातेदारी का हक नहीं मिल पाया है।	धारा 91 के अनुसार काबिज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	
6	**जल की समस्या**	**सार्वजनिक**	वर्षा जल संरक्षण न कर पाना और भूमिगत जल के अधिक दोहन से गाँव में जल की कमी हो गयी है। गाँव में कुँए, नाले, ट्यूबवेल और हैंडपंप आदि जल स्रोत होने के बावजूद भी बरसात के बाद भी भू-जल स्तर कम होने से जल संकट है। यह संकट सिंचाई से लेकर पेयजल तक का है। पीने के पानी में पाए जाने वाले फ्लोराइड और आयरन की मात्रा के कारण गाँववासियों में फ्लोरोसिस रोग हो जाता है।	शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप और आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना बनाकर उसे गाँव सभा द्वारा लागू करना। बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण। तालाब गहरीकरण और एनिकट, चेकडैम की मरम्मत तथा नए तालाब और एनिकट का निर्माण। मछली पालन।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व S.W.O.T विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन			
पक्की सड़क सी. सी. सड़क कच्ची सड़क मजदूर नरेगा	टूटी सड़कों की सही समय पर मरम्मत न होना। पंचायत का सड़क निर्माण व मरम्मत को लेकर उदासीन होना। भ्रष्टाचार का व्याप्त होना। मानदेय अनुसार व सही समय पर मजदूरी न मिलना। सड़क के लिए जमीन देने में लोगों का आपसी विवाद।	मनरेगा के तहत टूटी सड़क की मरम्मत व पगडंडी को चौड़ा करना व कच्चे रास्ते का निर्माण किया जा सकता है। ऊबड़-खाबड़ जमीन का समतलीकरण रास्ता निर्माण किया जा सकता है। कच्ची सड़क को सीसी सड़क बनाया जा सकता है।	पंचायत व मेट के भ्रष्टाचार को रोकना। गाँव सभा को मजबूत करना। गाँव सभा द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र देना। निगरानी समिति द्वारा निर्माण कार्य की निगरानी करना। सड़क निर्माण के लिए जमीन के आपसी विवाद का निपटारा।
जल -			
कुएं हैंडपंप नाले नदी तालाब एनिकट बोरवेल	बारिश का पानी संग्रहित करने की किसी भी योजना का न होना। एनिकट, नाले, कुओं, हैंडपंप में पानी सूख जाना।	मनरेगा के तहत तालाब, कुएं, एनिकट निर्माण व मरम्मत का कार्य किया जा सकता है। बोरवेल पर नियंत्रण के नियम बनाये जा सकते हैं। बारिश का पानी रोकने की योजना बनाई जा सकती है। कुएं, हैंडपंप में पानी रीचार्ज किया जा सकता है। तालाब निर्माण किया जा सकता है।	पंचायत को जल संग्रहण के प्रति जागरूक करना। लोगों के बीच बारिश के पानी को इकठ्ठा करने की चेतना पैदा करना। गाँव सभा मजबूत करना।
आजीविका संवर्धन			

कृषि भूमि चारागाह मजदूरी मनरेगा सब्जी की खेती पशुपालन	कृषि भूमि का अधिकतर पथरीली व ऊबड़-खाबड़ होना। सभी लोगों के पास पर्याप्त भूमि का न होना। पशुओं के लिए पर्याप्त चारा न होना। मनरेगा के प्रति लोगों का उदासीन होना। सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध न होना।	भूमि समतलीकरण व भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। चारागाह जमीन का विकास कर चारा उगाया जा सकता है। छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी, मुर्गी या मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। एनिकट, तालाब में मछलीपालन किया जा सकता है। सब्जी की खेती की जा सकती है। मनरेगा के कार्यों की सामूहिक योजना बनाई जा सकती है।	मनरेगा को मूल रूप में लागू करवाना। रोजगार की समस्या पर गाँव सभा में चर्चा करना। पंचायत व मेट के भ्रष्टाचार को रोकना। गाँव सभा को मजबूत करना।
भूमि			
बिलानाम जमीन वन जमीन गौण खनिज	बिलानाम भूमि अधिकार पत्र न मिलना। जंगल पर वन विभाग का कब्ज़ा होना। वन विभाग द्वारा मनमाने तरीके से पेड़ों की कटाई करना। वन समिति का वन के प्रति उदासीन होना। गाँव सभा द्वारा गौण खनिज निकालने की योजना नहीं बनाना।	बिलानाम भूमि के पट्टे के माँग की योजना बनाई जा सकती है। वन समिति द्वारा वन प्रबंधन की योजना बनाना। लघु वन उपज व फलदार पौधे लगाना। तेंदू पत्ते तोड़ने का ठेका गाँव सभा द्वारा लिया जा सकता है।बाहरी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खनिज निकालने पर गाँव सभा टैक्स लगा सकती है।सामूहिक वन दावा लगाया जा सकता है।	बिलानाम भूमि व वन दावे के लिए सामूहिक माँग की योजना बनाना। वन समिति व गाँव सभा को मजबूत करना। लोगों को वन संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूक करना।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

नजरिया नक्शा

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

प्रस्ताव सं.	**प्रस्तावित कार्य**	**संख्या**
1	पेंशन के संबंध में	
	वृद्धा पेंशन आवेदन नया	16
	पुनः आवेदन करवाना	7
	विकलांग पेंशन	8
	विधवा पेंशन	1
	एकल नारी पेंशन	4
	पालनहार योजना	3
2	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के संबंध में	15
3	शौचालय के संबंध में	2
4	**राजकीय विद्यालयों संबंध में** गुला फला विद्यालय एवं सुपड़ा फला विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति एक कक्षा कक्ष का निर्माण परकोटा निर्माण शौचालय मरम्मत	2
5	आंगनवाड़ी केंद्र करहेल माता के पास	1

	शौचालय की मरम्मत के संबंध में	
6	**नए सामुदायिक भवन का निर्माण** - गिरिजा महुड़ी माता जी के पास **करहेल माता सामुदायिक भवन की छत और फर्श मरम्मत**	2
7	तालाब मरम्मत और रिंगवाल के संबंध में 1. सुपड़ा तालाब की रिंग वाल निर्माण (लगभग 6000 मीटर) 2. गुला वाला तालाब गहरीकरण एवं रिंग वाल 3. हडेका नाका तालाब की रिंगवाल की मरम्मत	3
8	**रास्ता निर्माण के संबंध में** 1. बंशीलाल लाला हड़प वार्ड नंबर 4 के घर से रमेश धोला हगोत के घर तक का रास्ता निर्माण 5000 मीटर 2. राह वाला से गिरिया महूड़ी तक कच्चा निर्माण लंबाई लगभग 1000 मीटर 3. कालिया दरा से बडला तक कच्चा रास्ता निर्माण लंबाई लगभग 2000 मीटर 4. सुपड़ा तालाब से उजालिया दरा तक कच्ची सड़क निर्माण लंबाई लगभग 1000 मीटर **सी.सी. सड़क** 1. गुला तालाब से रमेश के घर तक 1500 मीटर 2. घोराला से गिरिया महूड़ी तक सीसी सड़क लगभग 1000 मीटर 3. डाबला से श्मशान घाट तक सीसी सड़क 500 मीटर 4. रामा/वाला के घर से पटिया तक निर्माण 1 किलोमीटर 5. देवी लाल के घर के पास पुलिया थावला के घर तक सीसी सड़क का निर्माण 800 मीटर	10
9	खेत समतलीकरण, मेड़बंदी, कुआं मरम्मत/ निर्माण खेत तलावड़ी पशुबाड़ा निर्माण के संबंध में	184
10	वृक्षारोपण के संबंध में	7
11	नए हैंडपंप	13
	पुराने हैण्डपम्प की मरम्मत	2
12	गुला फला में मां बाड़ी केंद्र का निर्माण	1
13	आर.ओ. प्लांट के संबंध में	1
14	श्मशान घाट के संबंध में • परकोटा निर्माण	1

	• चबूतरा निर्माण • स्नान घाट का निर्माण	
15	एनीकट निर्माण के संबंध में	4
16	कच्चे पक्के चेक डैम के निर्माण के संबंध में-	7
17	सामुदायिक वन दावा पेश करने के संबंध में	1
18	काबीज भूमि पर व्यक्तिगत दावा पेश करने के संबंध में	1
19	सामाजिक विवाद निपटारा गाँव सभा में करने के संबंध में	1
20	सामाजिक कुरीतियों पर रोक के संबंध में डायन प्रथा बाल विवाह मौताणा प्रथा बाल श्रम	1

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

सेवामें,

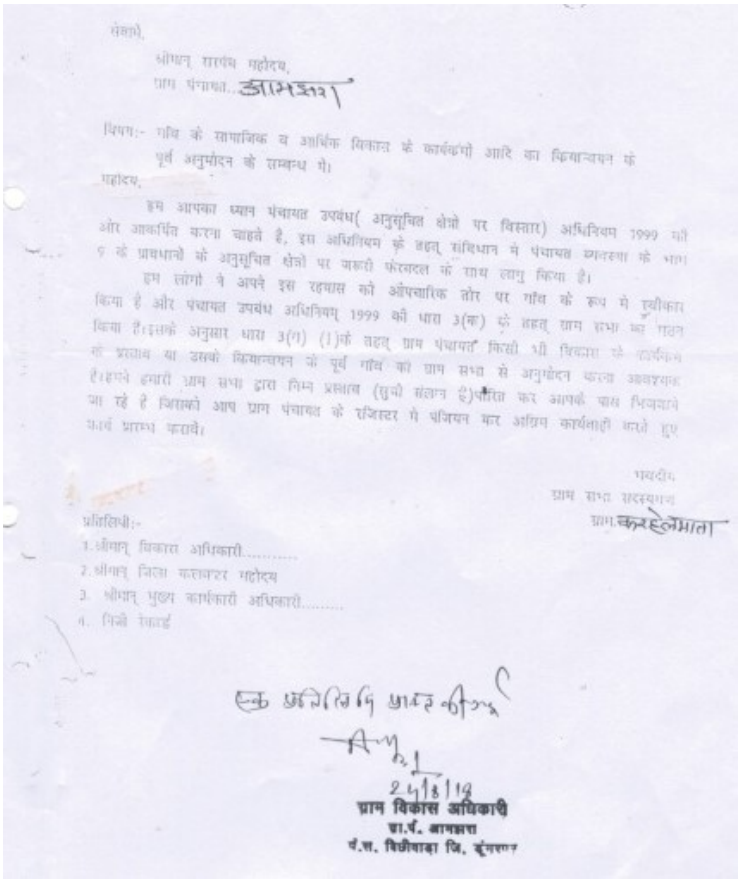

श्रीमान् सरपंच महोदय,
ग्राम पंचायत...आमझरा

विषय:- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायतें किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सूची संलग्न है)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय,
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम.करहेलेमाता

प्रतिलिपी:-
1.श्रीमान् विकास अधिकारी..........
2.श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी........
4. निजी रेकार्ड

एक प्रतिलिपि प्राप्त की

25/8/19
ग्राम विकास अधिकारी
ग्रा.पं. आमझरा
पं.स. बिछीवाड़ा जि. डूंगरपुर

प्रस्ताव कवरिंग

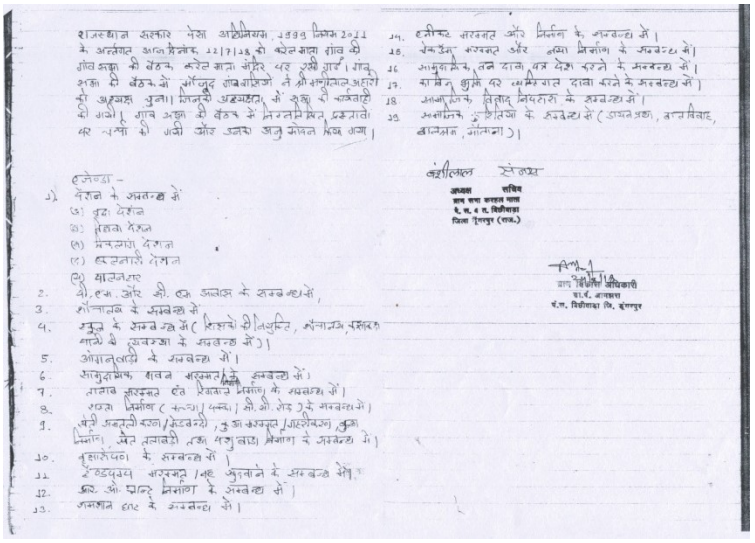

प्रस्ताव प्रथम पेज

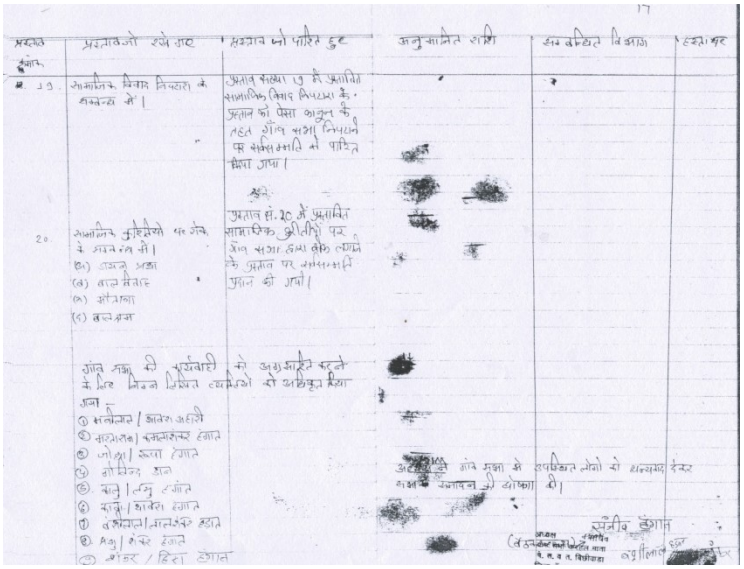

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम(V.P.F.T.)

	नाम	**फोन न.**
1.	गोविंद/नानजी डान	7568357707
2.	राधा कुंवर	9602909079
3.	लक्ष्मण हड़ात	8107433828
4.	जोधा राम/रूपा हगात	